इसे वेबसाईट www.govtpressinp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४०९]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2021—आश्विन 21, शक 1943

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपल

क्र. एफ-12-24-2021-सत्रह-मेडि.-03.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः—

## संशोधन

- 1. उक्त नियमों में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:— "2 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
  - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973);
  - (ख) ''ऐलोपैथी उपचर्या गृह'' से अभिप्रेत है, चिकित्सा की मान्यता प्राप्त पद्धति अर्थात् ऐलोपैथी में उपचार उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत उपचर्या गृह;
  - (ग) ''आयुष उपचर्या गृह'' से अभिप्रेत है, चिकित्सा की मान्यता प्राप्त पद्धति अर्थात् आयुर्वेद/योग/यूनानी/सिद्ध/होम्योपैथी में उपचार उपलब्ध करवाने के लिए रिजस्ट्रीकृत उपचर्या गृह;
  - (घ) "उपचर्या गृह की श्रेणी" से अभिप्रेत हैं, चिकित्सा की केवल ऐसी पद्धति अर्थात् ऐलोपैथी/आयुष चिकित्सा पद्धति में, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है, उपचार उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत उपचर्या गृह;

- (ङ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (च) ''सामान्य बिस्तर'' से अभिप्रेत है, अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों अथवा किसी रूप में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए आवश्यक अन्य लोगों के लिए इस प्रकार तैयार किए गए बिस्तर जो दोनों के लिए अर्थात् रोगियों के लिए आरामदायक व सुरक्षित तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करवाने वालों को सुविधाजनक हो;
- (छ) "हाई डिपेंडेंसी यूनिट" (एच.डी.यू.) से अभिप्रेत है, उन रोगियों के लिए आरक्षित वॉर्ड जिन्हें सामान्य वॉर्ड से अधिक तथा गहन चिकित्सा इकाई से थोड़ी कम देखभाल की आवश्यकता होगी। इकाई से मध्यम देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए स्टेप—डाउन इकाई के रूप में कार्य करती हो:
- (ज) "हाई डिपेंडेंसी यूनिट बिस्तर" से अभिप्रेत है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एच.डी.यू.) में स्थित बिस्तर:
- (झ) "संक्रामक" रोग से अभिप्रेत है, ऐसा रोग जिसके बारे में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, से यह अपेक्षित हो कि वह उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने क्षेत्र के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को दे:
- (ञ)"गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.)"से अभिप्रेत है, जीवन के लिए संकटास्पद रिथिति में गंभीर रोगियों का जीवन बचाए रखने के लिए शरीर के अंगों हेतु सहायक विभिन्न साधनों द्वारा नियंत्रण एवम् सतंत् निगरानी में गहन व विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा/परिचर्या संबंधी देखभाल किए जाने की व्यवस्था करने हेतु संगठित इकाई;
- (ट) ''गहन चिकित्सा इकाई बिस्तर'' से अभिप्रेत है, गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में स्थित बिस्तर:
- (ठ) "उपचर्या गृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उपचर्या गृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना के संबंध में पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकृत किया गया हो और जिसका रिजस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 5 के अधीन रदद नहीं किया गया हो;
- (ड) "स्थानीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम अथवा नगर पालिका अथवा नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय क्षेत्र के रूप में घोषित कोई अन्य क्षेत्र;
- (ढ) ''ऑक्सीजन सहित् बिस्तर'' से अभिप्रेत है, ऐसा बिस्तर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले रोगियों को ऑक्सीजन प्रदाय करने के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की वितरण प्रणाली, दाब, बहाव, आर्द्रता व उसकी सघनता को नियंत्रित करने वाले उपकरणों तथा ऑक्सीजन दिए जाने वाले उपस्करों सहित हो;

- (ण) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से अभिप्रेत है, और उसमें सम्मिलित है, ऐसा चिकित्सा व्यवसायी जो मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन रिजस्ट्रीकृत हो और उसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके पास कोई भी मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता हो और जो संबंधित चिकित्सा परिषद् अर्थात् ऐलोपैथी, डेन्टल (दंत), होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध अथवा किसी ऐसी परिषद्, मंडल अथवा किसी अन्य वैधानिक निकाय के रिजस्टर में नामांकित हो जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;
- (त) "आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, ऐसा रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो उपचर्या गृह में आने वाले तथा भर्ती व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी हो तथा उनकी व्यक्तिगत देखभाल की व्यवस्था के लिए, जिसमें निदान तथा उपचर्या गृह की कर्तव्य सूची में यथा विनिर्दिष्ट समस्त समयों पर बाह्य तथा आंतरिक रोगियों की स्वास्थ्य परिस्थितियों की व्यवस्था व उपचार सम्मिलित है, अपनी सेवा दे;
- (थ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (द) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (ध) "पर्यवेक्षी चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, ऐसा विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी जो भर्ती किए गए रोगियों के रूजोपचार संबंधी निष्कर्षों की निगरानी करने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से चिकित्सीय क्रियाकलापों अथवा रूजोपचार संबंधी उपायों की प्रत्यक्ष समीक्षा करने और योजना बनाने के लिए या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा संचार के किसी अन्य तरीके से दक्ष अथवा व्यावसायिक सलाह दे जिससे कि दिए जाने वाला उपचार, उपचार के समुचित प्रोटोकॉल के अनुरूप हो।"।
- 2. विद्यमान नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--

## "4 आवेदन की प्रस्तुति एवं अभिस्वीकृति.--

- (1) उपचर्या गृह अथवा रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने अथवा उनके नवीकरण हेतु यथाविहित पर्यवेक्षी प्राधिकारी को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा;
- (2) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने से तीन दिन के भीतर पर्यवेक्षी प्राधिकारी अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे अभिस्वीकृत किया जाएगा;
- (3) किसी भी अन्य दशा में आवेदन प्राप्त करने तथा तीन दिन के भीतर उसकी अभिस्वीकृति देने की, रीति ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।"।

- 3. विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:— "5 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र तथा अनुज्ञप्ति का मंजूर किया जाना.—
  - (1) पर्यवेक्षी प्राधिकारी उपचर्याः गृह अथवा रूजोपचार संबंधी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति हेतु अथवा उनके नवीकरण हेतु दिए गए ऑनलाईन आवेदनों का स्थाई अभिलेख रखेगा और उन्हें निरस्त किए जाने का भी, यदि कोई हो, अभिलेख रखेगा;
  - (2) जब पर्यवेक्षी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिजस्ट्रीकरण के संबंध में कोई आपितत नहीं है तो वह आवेदन को रिजस्ट्रीकृत करेगा और उसे प्ररूप 'ख' में ऑनलाईन रिजस्ट्रीकरण / नवीकरण प्रमाण—पत्र और प्ररूप 'ख ख' में अनुज्ञित जारी करेगा।"
- 4. विद्यमान नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:— "11 पते में परिवर्तन.—

उपचर्या गृह अथवा रूजीपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी पते में अथवा उस उपचर्या गृह अथवा रूजोपचार संबंधी स्थापना की, जिसके कि संबंध में उसे रिजस्ट्रीकृत किया गया है, स्थिति में हुए किसी भी परिवर्तन की यथाविहित ऑनलाईन संसूचना पर्यवेक्षी प्राधिकारी को सात दिन के भीतर देगा। पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा ऐसी संसूचना की ऑनलाईन रीति में अभिस्वीकृति दी जाएगी।"

- विद्यमान नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
   "12 कर्मचारिवृन्द में परिवर्तन.—
  - (1) उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसके स्वामी द्वारा चिकित्सीय, उपचर्या अथवा तकनीकी कर्मचारिवृन्द में हुए परिवर्तन उन तारीखों सहित जबिक ऐसे परिवर्तन हुए हों, पर्यवेक्षी प्राधिकारी को ऑनलाईन रीति में और किसी भी दशा में ऐसे परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर संसूचित किए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित कर्मचारिवृन्द को भी संसूचित किया जाएंगा;
  - (2) पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा संसूचना को ऑनलाईन रीति में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।"
- 6. नियम 14 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ग) की मद संख्या (दस्त) में, शब्द ''रोग'' के स्थान पर, शब्द ''अंतिम निदान'' स्थापित किए जाएं।

- 7. नियम 19 में, उपनियम (1) में, शब्द ''मस्तिष्क ज्वर'' के स्थान पर, शब्द, अंक और विरामादि चिन्ह ''मस्तिष्क ज्वर, कोविड—19'' अंतःस्थापित किए जाएं।
- 8. नियम 20 में, शब्द ''राज्य सरकार'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं'' स्थापित किए जाएं।
- 9. नियम 21 में, शब्द ''राज्य सरकार'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं'' स्थापित किए जाएं।
- 10. विद्यमान् अनुसूची—एक तथा दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"अनुसूची–एक (नियम ७ देखिए) फीस की अनुसूची

			<u></u>
अनुक्रमांक	विवरण	रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति फीस (रूपए में)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस (रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	र्या गृह तथा प्रसूति गृह के लिएः		
(एक)	10 बिस्तरों तक	3000	/- )
(दो)	10 बिस्तरों से अधिक किन्तु 20	बिस्तरों तक 5250	/-
(तीन)	20 बिस्तरों से अधिक किन्तु 30	बिस्तरों तक 6750	/- > 500/-
(चार)	30 बिस्तरों से अधिक प्रत्येक आं लिए	तेरिक्त बिस्तर के 225/	/_
(ख)	रूजोपचार संबंधी स्थापना के वि	नए 3000	/-
(ग)	चिकित्सीय प्रयोगशाला, शारीरिक	चिकित्सा	
	(फिजियोथेरेपी) स्थापना, बाह्य रू	जोपचार	

## अनुसूची-दो

## (नियम 17 देखिए) उपचर्या गृह की अपेक्षाएं

- (क) स्थिति तथा आसपास का वातावरण.— स्थापित किए जाने वाले उपचर्या गृह किसी खुली मल नाली, नाली या सार्वजनिक शौचालय से अथवा धुंआ या दुर्गन्ध छोड़ने वाले किसी कारखाने से लगे हुए नहीं होंगे।
- (ख) भवन.—
  - (एक) उपचर्या गृह के लिए उपयोग में लाए गए भवन के संबंध में समय-समय पर प्रवृत्त सुसंगत नगर पालिक उपविधियों का पालन किया जाएगा।
  - (दो) उपचर्या गृह के कक्ष्म अच्छे हवादार तथा प्रकाशयुक्त होंगे और स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर दशा में रखे जाएंगे।
  - (तीन) प्रसूति कक्ष तथा शल्यक्रिया कक्ष की दीवारों का फर्श से चार फुट की ऊंचाई तक ऐसा निर्माण होगा ताकि वे जलरोधी बनी रहें, फर्श ऐसा होगा कि धूल का जमाव या संचयन न हो सके, दीवारों या फर्श में कोई दरार या सुराख नहीं होंगे।
  - (चार) प्रसूति कक्ष तथा शल्य क्रिया कक्ष की रोगाणु मुक्त स्थिति बनाए रखी जाएगी।
  - (पांच) सेप्टिक तथा संक्रामंक रोगियों के मामलों को अलग करने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।
- (ग) रोगियों आदि के लिए स्थान व्यवस्था.-
  - (एक) उपचर्या गृह के कक्ष में एक बिस्तर के लिए फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस) 100 वर्गफुट और प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए अतिरिक्त 60 वर्गफुट होगा।
  - (दो) प्रसूति कक्ष / शल्य क्रिया कक्ष के लिए कम से कम 160 वर्ग फुट फर्श स्थान की व्यवस्था की जाएगी।
  - (तीन) कर्तव्य पर उपस्थित परिचर्या कर्मचारिवृन्द के लिए एक कर्तव्य कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।
  - (चार) औषधियों, खाद्य सामग्रियों उपस्करों आदि के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

- (घ) जल प्रदाय.— उपचर्या गृह में उपयोग किया जाने वाला जल शुंद्ध तथा पीने योग्य गुण (क्वालिटी) का होगा।
- (ङ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबन्धन.— मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल से (बायों मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग रूल्स, 2016 के अनुसार) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अधिकार पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। कीपर अथवा स्वामी, अधिकार पत्र अभिप्राप्त होने तक रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा तथापि, संस्था, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल से अधिकार पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही कार्य करेगी।
- (च) कर्मचारिवृन्द के स्वास्थ्य, वस्त्र और स्वच्छता की अपेक्षाएं.-
  - (एक) नियोजित कर्मचारिवृन्द सांसर्गिक रोगों से मुक्त होंगे और उनके कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप उनकी स्वच्छ पोशाक की व्यवस्था की जाएगी।
  - (दो) नियोजन के समय कर्मकारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् इसी प्रकार नियतकालिक परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) उपस्कर तथा लिनन आदि.— उपचर्या गृह में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा:—
  - (एक) फ्लश व्यवस्था सहित पर्याप्त संख्या में कमोड, बेडपान तथा स्लॉप सिंक;
  - (दो) उच्च दाव जीवाणुनाशक यंत्र (स्टरलाईजर) और उपस्कर जीवाणुनाशक यंत्र;
  - (तीन) ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा आवश्यक संलग्नक;
  - (चार) (क) उपचर्या गृह में प्रत्येक 100 बिस्तरों अथवा उनके भाग के लिए मेडिकल गैस पाईपलाईन सहित 25 प्रतिशत बिस्तर ऑक्सीजन सहित बिस्तर के रूप में रखे जाएंगे;
    - (ख) 100 बिस्तरों अथवा उसके भाग के लिए प्रत्येक उपचर्या गृह में कम से कम 25 प्रतिशंत ऑक्सीजन सिहत बिस्तरों की ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एल.एम.ओ.) टैंक अथवा प्रेशर स्विंग एडजो़र्प्शन (पी.एस.ए.) संयंत्र होगा;

(पांच) रोगी की आवश्यकतानुसार पर्याप्त उपस्कर, उपकरण तथा साधित्र;

- (छह) पर्याप्त संख्या में चादरें, गद्दे, तिकये, कंबल, ड्रॉ शीट्स़ तथा अन्य लिनन, और
- (सात) विषाक्त पदार्थ रखने के लिए ताले चाबी वाली अलमारी;
- (आठ) आंतरिक रोगियों के लिए नीचे दिए अनुसार न्यूनतम फर्नीचर तथा लिनन की व्यवस्था की जाएगी:—

::

::

••

प्रत्येक आंतरिक रोगी के लिए

गददे सहित पलंग

एक

बैड साईड लॉकर

एक

कुर्सी / स्टूल

: एक

कंबल

:: एक

चादर / पलंगपोश

दो प्रतिदिन बदली जाएगी

गिलाफ सहितः तिकया

एक

- (नौं) मच्छरों तथा मिक्खयों आदि की रोकथाम के लिए उपचर्या गृह द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- (ज) भोजन.— यदि उपचर्या गृह रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है तो उसे स्वास्थ्यकर स्थिति में बनाया और परोसा जाएगा।
- (झ) उपचर्या गृह कर्मचारिवृन्द.— 20 बिस्तरों के लिए चार परिचारिकाओं के मान से परिचारिकाएं होंगी, साथ ही 10 बिस्तरों वाली या उसके किसी भाग के लिए उपचर्या गृह / प्रसूतिगृह में कम से कम तीन परिचारिकाएं होंगी, 50 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाले उपचर्या गृह में प्रत्येक 50 बिस्तरों या उसके किसी भाग के लिए एक निर्मिंग सिस्टर की सेवीएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ञ) अभिलेख.— उपचर्या गृह द्वारा उपस्करों, औषधियों तथा उपयोग की वस्तुओं के लिए पृथक्—पृथक् स्टॉक रजिस्टर रखे जाएंगे ।
- (ट) उसी चिकित्सा पद्धति के, जिसके लिए उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सेवाओं की व्यवस्था नीचे दर्शाए गए अनुसार की जाएगी—

- (एक) 20 रोगियों की बिस्तर क्षमता वाले अथवा उसके भाग के लिए आंतरिक रोगियों की देखभाल करने के लिए उसी चिकित्सा पद्धति का, जिसके लिए उपचर्या गृह को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, एक आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;
- (दो) प्रतिदिन प्रत्येक 50 बाह्य रोगियों या उसके किसी भाग के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा व्यवसायी;
- (तीन) किसी आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को एक बार में राज्य के केवल एक उपचर्या गृह में ही कार्य करने की अनुमित होगी। किसी अन्य उपचर्या गृह में कोई अंशकालिक काम किया जाना अनुज्ञेय नहीं होगा। इस प्रकार काम किया जाना रिजस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञिप्त रदद कर दिए जाने का आधार होगा;
- (चार) आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उपचर्या गृह में स्वयं उपस्थित रहेगा और उपचर्या गृह की कर्तव्य सूची में यथा विनिर्दिष्ट सभी समयों पर आंतरिक रोगियों की परिचर्या के लिए अपनी सेवाएं देगा;
- (पांच) ऐसे आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, अर्हता तथा कर्तव्य सूची उपचर्या गृह के रजिस्ट्रीकरण वाले क्षेत्र में प्रदर्शित की जाएगी;
- (छह) ऐसे आवासी, रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के दस्तावेज़ों का अभिलेख उपचर्या गृह में हर समय संधारित किया जाएगा और रिजस्ट्रीकरण/रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- (ठ) प्रत्येक 50 आंतरिक रोगियों अथवा उनके भाग के लिए एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं, आंतरिक रोगियों के आकस्मिक बुलावे (इमरजेंसीकॉल) पर हाजिर होने के लिए, हर समय कर्तव्य पर उपलब्ध रहेगा।
- (ड) यदि औषध भण्डार अनुरक्षित किया गया है तो एक भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) की सेवाएं।
- (ढ) यदि इमेजिंग मॉडेलिटीज की व्यवस्था की गई है तो एक अर्हित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी और विहित तकनीशियनों की सेवाएं।
- (ण) यदि विकृति विज्ञान सुविधा तथा प्रयोगशाला सुविधा की व्यवस्थाएं की गई है तो एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी तथा तकनीशियन की सेवाएं।
- (त) यदि फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं।

- (थ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञप्ति को उपचर्या गृह में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
- (द) अनुरक्षित समस्त अभिलेखों तथा रजिस्टरों पर उपचर्या गृह के रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति का क्रमांक होगा, इसी प्रकार उपचर्या गृह द्वारा उपयोग में लाए गए सभी दस्तावेज तथा स्टेशनरी, जिसमें उपचार चार्ट, रिपोर्ट, केश मेमो, बिल आदि सम्मिलित है, पर भी यह क्रमांक होगा।
- (ध) उपचर्या गृह रखने वाला (कीपर) अथवा उसका स्वामी किसी ऐसे आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को काम में नहीं लगाएगा जो राज्य के किसी अन्य उपचर्या गृह में पहले से ही रिजस्ट्रीकृत हो। उपचर्या गृह को रखने वाला (कीपर) अथवा उसका स्वामी एक फ़ार्मेट में दिनांक, कर्तव्य के घण्टे, कर्तव्य का स्थान इत्यादि का विवरण देंते हुए आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की कर्तव्य सूची अनुरक्षित रखेगा।
- (प) उपचर्या गृह रखने वाला (कीपर) एवं उसका स्वामी एक शिकायत पुस्तक रखेगा और इससे शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराएगा, शिकायत पुस्तक पर्यवेक्षी प्राधिकारी या उसकी ओर से निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (फ) उपचर्या गृह रखने वाला (कीपर) एवं उसका स्वामी यह ध्यान रखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि उपचर्या गृह या रूजोपचार संबंधी स्थान को किसी असामाजिक या अनैतिक प्रयोजनों या दोनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है।
- (ब) उपचर्या गृह द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) काउंटर पर अनिवार्य रूप से रखी जाएगी तथा मांग की जाने पर रोगी या उसके परिवार के सदस्य को दिखाई जाएगी। इस आशय की सूचना रिजस्ट्रीकरण काउंटर पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भी दर सूची (रेट लिस्ट) तथा इसमें किये गए संशोधन से यदि कोई हों, अवगत रखा जाएगा।
- (न) उपचर्या गृह रखने वाला (कीपर) एवं उसका स्वामी, किसी सरकारी सेवक को उसके द्वारा राज्य सरकार से इस निमित्त प्राप्त की गई स्पष्ट अनुमित के बिना उपचर्या गृह में किसी भी कार्य, जिसमें परामर्श भी सिम्मिलित है, के लिए नहीं रखेगा या लगाएगा और जहां सरकारी सेवक को इस प्रकार उपचर्या गृह में लगाया/रखा जाता है तो उपचर्या गृह रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी पूर्णकालिक/अंशकालिंक आधार पर रखे/लगाए गए ऐसे सरकारी सेवक के कार्य पर रखे/लगाए जाने से संबंधित ब्यौरे उसको उपचर्या गृह द्वारा संदत्त की जा रही परिलिब्धियों के साथ पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"।

11. विद्यमान प्ररूप 'क' तथा 'ख' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप ऱ्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

#### "प्ररूप 'क'

## (नियम 3 तथा 6 देखिए)

मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रिजस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण / रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन"

#### भाग क-सामान्य

(1)	आवेदक का पूरा नाम	
(2)	आवेदक के निवास का पूरा पता*	
(3)	आवेदक की तकनीकी अर्हताएं, यदि. कोई हो	
(4)	आवेदक की राष्ट्रीयता	
(5)	कम्पनी, समिति, संगम अथवा अन्य निगमित निकाय	*
	के रजिस्ट्रीकृत या प्रमुख कार्यालय की स्थिति**	
(6)	उस उपचर्या गृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना	
	का नाम तथा अन्य विशिष्टया जिसके संबंध में	
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है	
(7)	वह स्थान, जहां उपचर्या गृह/रूजोपचार संबंधी	5:
	स्थापना स्थित है	
(8)	चिकित्सा की वह पद्धति जिसके अधीन उपचर्या गृह	
	अथवा रूजोपचार संबंधी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के	
	लिए आवेदन किया गया है	
(9)	क्या आवेदक किसी अन्य उपचर्या गृह/रूजोपचार संबंधी	
	स्थापना या कारोबार में रूचि रखता है यदि हां तो वह	
	स्थान जहां ऐसा उपचर्या गृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना	
	स्थित है या जहां ऐसा कारोबार किया जा रहा है	

<sup>\*</sup> उस दशा में जब आवेदन किसी कंपनी, समिति, संगम या निगमित निकाय की ओर से दिया गया है तो ऐसी कंपनी, समिति, संगम या अन्य निर्मित निकाय के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति का नाम तथा निवास का पता दिया जाना चाहिए। \*\* यह पद केवल तब लागू होगा जब आवेदन किसी कंपनी, समिति, संगम या अन्य निर्मित निकाय की ओर से दिया गया हो।

# भाग ख -उपचर्या गृह

		1
(10)	उपचर्या गृह के निर्माण, आकार, और उपस्करों का या उपयोग किए गए उससे नीचे दिए अनुसार होगा:	
	(एक) बिस्तरों की संख्या दर्शाते हुए रोगियों को दिए गए शयन कक्षों का फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस)	
	(दो) कर्मचारियों की चिकित्सीय जांच पड़ताल तथा टीकाकारण (इम्यूनाईजेशन) के लिए की गई व्यवस्थाएं	
	(तीन) प्रत्येक कक्ष का क्षेत्रफल और उसके उपयोगकर्ता के ब्यौरे देते हुये रसोई घर, साथ रहने वालों के कक्ष तथा अन्य कक्षों का फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस)	î
	(चार) रोगी तथा कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या दर्शाते हुए स्वच्छता सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे	
	(पांच) भोजन के भण्डारण तथा परोसने के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे	
(11)	क्या उपचर्या गृह का या उपयोग किए गए उससे संसक्त किन्हीं परिसरों का उपयोग उपचर्या गृह रखने के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है या किया जाना है	
(12)	(क) प्रसूति रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या (ख) अन्य रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या	
(13)	उपचर्या गृह में परिचर्या कर्मधारिवृन्दें के सदस्यों के नाम, आयु तथा अर्हताएं	
(14)	वह स्थान, जहां परिचर्या कर्मचारिवृन्द को उहराया गया है	-
(15)	उपचर्या गृह के आवासी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों या विजिटिंग फिजिशियनों या शल्य चिकित्सकों के नाम, आयु तथा अर्हताएं,	

(16)	क्या उपचर्या गृह पर्यवेक्षी चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षणाधीन है और यदि है तो उसका नाम, आयु तथा अर्हताएं,	
(17)	(क) क्या उपचर्या गृह में परिचालित प्रसूतिगृह किसी अर्हित परिचारिका के पर्यवेक्षणाधीन है यदि हां तो उसका नाम, आयु तथा अर्हताएं,	·
	(ख) क्या उपचर्या गृह में किसी रोगी की उपचर्या हेतु कोई अरिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा अनर्हित परिचारिका नियोजित की गई है ?	
(18)	क्या उपचर्या गृह में अन्य देशीय राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति नियोजित है और यदि हो तो उसका नाम तथा अन्य विशिष्टियां	
(19)	रोगियों पर प्रभारित फीस नोट— विभिन्न खण्डों के अधीन अपेक्षित जानकारी उपयुक्त खण्ड में परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाएगी	N7

# भाग ग - रूजोपचार संबंधी स्थापना

(20)	रूजोपचार संबंधी स्थापना के लिए उपयोग में लाये जाने वाले भवन का विवरण, अवस्थिति, आकार और प्रकार,	
(21)	रूजोपचार संबंधी स्थापना का प्रकार	
(22)	रूजोपचार संबंधी स्थापना में जांच/परीक्षण करने या उपचार उपलब्ध करवाने की सुविधाएं	
(23) (24)	उपस्करों के ब्यौरे उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी/उन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नाम, आयु, तथा अर्हताएं जिनके सम्पूर्ण प्रभार में रूजोपचार संबंधी स्थापना कृत्य करेगी	
(25)	रूजोपचार संबंधी स्थापना में नियोजित तकनीशियनों के नाम, आयु, तथा अर्हता,	**************************************
(26)	रोगियों पर प्रभारित फीस नोट— विभिन्न खण्डों के अधीन अपेक्षित जानकारी उपयुक्त खण्ड में परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाएगी	
	भाग— घ (नवीकरण के लिए)	a A
(27) (28)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा उसकी समाप्ति की तारी जमा की गई फीस के ब्यौरे	ख
	सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवर के अनुसार सत्य है।	ण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा
तारीख		1
		आवेदक के हस्ताक्षर

## प्ररूप ''ख'' (नियम 5 तथा 6 देखिए)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक , ः.
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
को मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथ
अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३ के अधीन में स्थित
में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और (यहां चिकित्सा की मान्यता प्राप्त पद्धि
जैसे कि ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/योग/यूनानी/सिद्ध/होम्योपैथी का नाम अंतर्विष्ट करें) चिकित्स
पद्धति के अधीन उक्त उपचर्या गृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
100
रजिस्ट्रीकृत उपचर्या गृह / रूजोपचार संबंधी स्थापना का नाम
स्थान
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख
यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 31 मार्च तक विधिमान्य रहेगा
पर्यवेक्षी प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पथवंक्षा प्राधिकारा के हस्ताक्षर
प्ररूप ख में शब्द उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं के पश्चात् शब्द'' के अधीन
यहां चिकित्सा की पद्धति जैसे कि ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/यूनानी/सिद्ध चिकित्सा पद्धति
भन्तर्विष्ट करें' मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 548 दिनांक 16.10.2007 में प्रकाशित संशोधन द्वारा
नोड़ा गया है।)

12. विद्यमान प्ररूप —'ख ख' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किंथा जाए, अर्थात्:—

# ''प्ररूप ''ख ख'' (नियम 5 तथा 6 देखिए)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्ररूप

<u> </u>
मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)
नियम 1997 के नियम, के अधीन क्रमांक तारीख
द्वारा रजिस्ट्रीकृत श्री/श्रीमतीसे 31 मार्च,से 31 मार्च,से
तक की कालावधि के लिए के संबंध में उक्त नियमों की अनुसूची दो में
विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए (यहां चिकित्सा की मान्यता प्राप्त पद्धति जैसे कि
ऐलोपैथी/आयुर्वेद/योग/यूनानी/सिद्ध/ होम्योपैथी का नाम अंतर्विष्ट करें) उक्त उपचर्या
गृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना चलाने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।
् मुद्रा <u> </u>
पर्यवेक्षी प्राधिकारी ''।

# 13. विद्यमान प्ररूप –'घ' 'ड.' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

# "प्ररूप ''घ'' (नियम 14 देखिए)

		उपचर्या गृह में भरती	किये गए रोगियों	का रजिस्ट्रीकरण
अनुक्रमांक	रोगी का संदर्भ क्रमांक	रोगी का पूरा नाम तथा पता	भर्ती की तारीख	भर्ती के समय रोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

यदि रोगी उपचर्या गृह में रहने के	प्रसूति मामलों के वाली अतिरिव	संबंध में भरी जाने त्त विशिष्टियां		70 70
दौरान किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हुआ है तो ऐसे रोग का स्वरूप तथा की	यथास्थिति प्रसव / गर्भस्त्राव या गर्भपात की तारीख और समय	शिशु का लिंग चाहे यह जीवित जन्मा हो या मृत	प्रसव के समय उपस्थित व्यक्तियों के नाम तथा पता	किए गए नैदानिक परीक्षण
भ्यरूप तथा का गई कार्यवाही (6)	्रार समय	(8)	(9)	(10)

प्ररूप—'च' भरा गया* (हां / नहीं)	उपचर्या गृह में प्रत्येक शिशु को आहार देने का तरीका और उसकी कालावधि	रोगी या शिशु की मृत्यु की दशा में मृत्यु की तारीख तथा समय	उपचर्या गृह से रोगी को छुट्टी देने की तारीख	टिप्पणियाँ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

<sup>\*</sup>नोट- केवल पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपचर्या गृहों के लिए ।

#### प्ररूप-ड.

Ä,

# (नियम 15 देखिए)

# उन रोगियों का रिजस्टर जिनकी रूजोपचार सम्बन्धी स्थापना में परीक्षा की गई हो या जिनका उपचार किया गया हो या जिनके सम्बन्ध में कोई जांच की गई हो।

		-	•	•
	÷	8	0 0 0	उस चिकित्सक व
अनुक्रमांक	रोगी का संदर्भ क्रमांक	रोगी का पूरा नाम तथा पता	तारीख या तारीखें जब परीक्षण किया गया था या जांच की गई हो	या अस्पताल क नाम तथा अन्य विशिष्टियां जिसन जांच हेतु संदर्भ
(4)	(0)	(0)	(4)	किया है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Della		
की गई जांच क	ा प्रकार	प्ररूप 'च'* ें हां / नहीं	जांच/परीक्षण वे	े लिए प्रभारित फी
	,	ואר /וא		

फिजियोथेरेपी क्लीनिक के सम्बन्ध	में भरी जाने वाली अति	रिक्त विशिष्टियां	
उस रोग/बीमारी की विशिष्टयां जिस	उपचार की कुल	प्रभारित कुल फीस	टिप्पणियाँ
का उपचार किया गया	कालावधि	प्रमारित पुल फार्त	ाटप्पाणवा -
(9)	(10)	(11)	(12)

<sup>\*</sup>नोट- केवल पी.सी.पी.एन.डी.टी. एंक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपचर्या गृहों के लिए ।

# अभिस्वीकृति (नियम 4 (3) देखिए)

श्री / श्रीमती(३	भावेदक का नाम व पता) द्वारा उपचर्या
<u> [ह / रूजोपचार *प्ररूप — क में दिया गया आवे</u>	दन, पर्यवेक्षी प्राधिकारी को दिनांक
को प्राप्त हुआ ।	
प्ररूप 'क' में आवेदन के साथ संलग्न किए ग संलग्नकों को सत्यापित किया गया और सही पाए	
अथव	वा
सत्यापन किए जाने पर यह पाया गया कि संलग्न	नकों की सूची में वर्णित निम्नलिखित संलग्नक
वास्तव में संलग्न नहीं किए गए हैं –	
1	
2	
3	
इस अभिस्वीकृति से आवेदन को रजिस्ट्रीकरण मं	ंजूर किए जाने अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाने
का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।	
दिनांक	
स्थान	()
	पर्यवेक्षी प्राधिकारी के अथवा
	समुचित प्राधिकारी के कार्यालय के
*	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और
	पदनाम मुद्रा.

\*जो आवश्यक न हो या लागू न हो उसे काट दीजिए।

\*सभी संलग्नक आवेदक के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएं।"

# 14. अनुसूची तीन के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

#### . "अनुसूची – चार

रिजस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने हेतु दिए गए आवेदनों का / उन्हें निरस्त किए जाने का स्थायी अभिलेख अनुरक्षित किए जाने के लिए प्ररूप

- 1. अनुक्रमांक
- 2. पर्यवेक्षी प्राधिकारी का फाईल क्रमांक
- 3. रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने के लिए दिए गए आवेदन की प्राप्ति दिनांक
- 4. आवेदक का नाम, पता तथा फोन नम्बर
- 5. उपचर्या गृह का नाम व पता
- 6. उपचर्या गृह परिसर के फोटो (सामने से लिए हुए)
- 7. वार्डो तथा अन्य सुविधाओं के फोटो
- 8. आवासी चिकित्सा व्यवसायी/व्यवसायियों का विवरण
- 9. परिचर्या कर्मचारिवृन्द का विवरण
- 10. फार्मासिस्ट का विवरण
- 11. तकनीशियनों का विवरण (यदि इमेजिंग मोडेलिटिज़ की सुविधा दी गई हो तो)
- 12. प्रयोगशाला तकनीशियनों का विवरण (यदि पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा दी गई हो तो)
- 13. फिजियोथेरेपिस्ट का विवरण (यदि फिजियोथेरेपी की सुविधा दी गई हो तो)
- 14. वैधानिक अनुमतियों की फोटो प्रतियां (यथाविहित)
- 15. दर सूची / टैरिफ
- 16. पर्यवेक्षी प्राधिकारी / पदाभिहित निरीक्षण दल की निरीक्षण रिपोर्ट
- 17. पर्यवेक्षी प्राधिकारी / पदाभिहित निरीक्षण दल की अनुशंसाएं
- 18. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति
- 19. निरस्त किए जाने का आधार (यदि आवेदन निरस्त किया गया हो तो)
- 20. अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई हो/अथवा यथाविहित)"

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam,1973 (No. 47 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules,1997, namely:-

#### **AMENDMENT**

- In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: 2 Definitions In these rules, unless the context otherwise requires: -
  - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No 47 of 1973);
  - (b) "Allopathy Nursing Home"means a Nursing Home registered to provide treatment in recognized system of medicine viz. Allopathy;
  - (c) "AYUSH Nursing Home" means a Nursing Home registered to provide treatment in recognized system of medicine viz. Ayurveda/Yoga/Homeopathy/Unani/Siddha;
  - (d) "Category of Nursing Home" means a Nursing Home registered to provide treatment under the recognized system of medicine only for which it is registered viz. Allopathy/ AYUSH system of medicine;
  - (e) "Form" means a form appended to these rules;
  - (f) "General Bed" means a bed designed for hospitalized patients or others in need of some form of health care, having special features both for the comfort and well-being of the patient and for the convenience of health care providers;

- (g) "High Dependency Unit (HDU)" means a dedicated ward reserved for patients who need more intensive observation, treatment and nursing care than is possible in a General ward, but slightly less than that given in Intensive Care Unit and serves as a "Step-down" unit for intermediate care;
- (h) "High Dependency Unit Bed" means a bed situated in the High Dependency Unit (HDU).
- (i) "Infectious Disease" means a disease about which a Registered Medical
  Practitioner is required to notify to the Medical and Health Officer of
  his area under the law for the time being in force;
- (j) "Intensive Care Unit (ICU)" means an organized unit for provision of intensive and specialized medical/nursing care under constant close supervision, to critically ill patients through an enhanced capacity for monitoring with multiple modalities of physiologic organ support to sustain life during a period of life-threatening organ system insufficiency;
- (k) "Intensive Care Unit Bed" means a bed situated in the Intensive Care Unit (ICU);
- (1) "Keeper or Owner of Nursing Home or Clinical Establishment" means a person who has been duly registered by the supervising authority in respect of Nursing Home or a Clinical Establishment under sub-section (3) of section 4 of the Act and whose registration has not been cancelled under section 5 of the Act;
- (m) "Local area" means the area comprised within the local limits of a Municipal Corporation or a Municipality or a Nagar Panchayat

- constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, as the case may be or any other area declared to be a local area for the purposes of this Act by the State Government, by notification in the official Gazette;
- (n) "Oxygen Supported Bed" means a bed having a Medical Oxygen delivery system with supply mechanisms for Oxygen distribution, apparatuses to control pressure, flow, humidity, concentration and devices for delivering Oxygen to patients requiring Oxygen support;
- (o) "Registered Medical Practitioner" means and includes a medical practitioner registered under the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 and shall include a person who possesses any of the recognized medical qualifications and who has been enrolled in the register of the respective Medical Council, viz., Allopathy, Dental, Homeopathy, Ayurveda, Unani and Siddha or any such Council, Board or any other statutory body recognized by the Government of Madhya Pradesh;
- (p) "Resident Registered Medical Practitioner" means a registered medical practitioner who shall be in-charge of the persons received and admitted in the Nursing Home and shall render his services for providing direct care including diagnosis, managing and treating health conditions of out-patients and in patients at all times as specified in the duty schedule of the nursing home;
- (q) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (r) "Section" means section of the Act;
- (s) "Supervising Medical Practitioner" means a specialist medical

practitioner who shall provide expert or professional advice for direct review and planning of therapeutic activities or clinical approaches, in order to oversee and improve the clinical outcome of admitted patients, either in person or by any other mode of communication, so that rendered treatment is consistent with the appropriate treatment protocols;

2. For existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

#### "4 Submission and Acknowledgment of Application -

- (1) The keeper or owner of Nursing Home or Clinical Establishment shall submit an online application for grant of registration and license or renewal thereof to the supervising authority as prescribed.
- (2) The receipt of online application shall be acknowledged within three days of its receipt by the supervising authority or anyone duly authorized.
- (3) In any other case, the manner of receipt and acknowledgement of such application within three days of its receipt, shall be such as prescribed by the State Government.
- 3. For existing rule 5, the following rule shall be substituted, namely: -

## "5 Grant of certificate of registration and license -

- (1) The Supervising Authority shall maintain a permanent office record of online applications received for grant of certificate of registration and license of Nursing Home or Clinical Establishment or renewal thereof and also maintain the record for rejection, if any.
- (2) The Supervising Authority, on being satisfied, that there is no

objection to registration, register the applicant and issue to him an online certificate of registration/renewal of registration in form "B" and license in form "BB";".

- 4. For existing rule 11, the following rule shall be substituted, namely: -
  - "11 Change in address The keeper or owner of Nursing Home or Clinical Establishment shall communicate to the supervising authority any change in address or in the situation of the Nursing Home or Clinical Establishment, in respect of which he is registered, within seven days after such change, by online intimation as prescribed. The communication shall be duly acknowledged by the supervising authority, by online mode.
- 5. For existing rule 12, the following rule shall be substituted, namely: "12 Change in staff -
  - (1) The keeper or owner of Nursing Home or Clinical Establishment shall communicate to the supervising authority, by online mode, any change in the medical, nursing or technical staff together with the dates on which such changes have taken place, within seven days of such change. A communication in this regard shall also be shared with the concerned staff.
  - (2) The communication shall be duly acknowledged by the supervising authority, by online mode.
- 6. In rule 14, in sub-rule (1), in item no. (x) of clause (c), for the word "Disease", the words "Final diagnosis" shall be substituted.
- 7. In rule 19, in sub-rule (1), for the words "Meningitis", the words, figure and punctuation "Meningitis, COVID-19" shall be substituted.

- 8. In rule 20, for the words "State Government", wherever they occur, the words "Director, Health Services" shall be substituted".
- 9. In Rule 21, for the words "State Government", wherever they occur, the words "Director Health Services" shall be substituted.
- 10. For existing schedules I and II, the following schedules shall be substituted, namely: -

#### "SCHEDULE I (See rule-7) Schedule of Fees

S.No.	Particulars	Registration & License Fees (INR)	Fee for issue of a duplicate certificate of registration and license (INR)	
(a) For	Nursing Homes and Maternity Homes			
i.	Up to 10 beds	3000/-		
ii.	Above 10 beds but up to 20 beds	5250/-	1	
iii.	Above 10 beds but up to 30 beds	6750/-		
iv.	For each additional bed above 30 beds	225/-	500/-	
For Clin	nical Establishment	3000/-		
`	al Laboratory, Physiotherapy hment, outdoor clinic			

# SCHEDULE II (See rule-17) Requirement of Nursing Home

(a) Location and Surroundings. — The Nursing Homes to be established shall not be adjacent to an open-sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or obnoxious odour.";

### (b) Building .—

- (i) The building used for the Nursing Home shall comply with the relevant municipal bye-law in force from time to time.
- (ii) The rooms of the Nursing Home shall be well ventilated and lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions.
- (iii) The wall of the labor room and operation theatre, up to a height of four feet from the floor, shall be of such construction as to render it water proof. The flooring shall be such as not to permit retention or accumulation of dust. There shall be no chinks or crevices in the walls or floors.
- (iv) Aseptic conditions shall be maintained in labor room and the operation room.
- (v) Adequate arrangements shall be made for isolating specific and infectious cases.

### (c) Space Accommodation for the Patients etc.—

- (i) The floor space in Nursing Home shall be 100 square feet for one bed and additional 60 square feet for every additional bed in the room.
- (ii) A labor room/operation theatre shall be provided with minimum floor space of 160 sq. feet.
- (iii) A duty room shall be provided for the nursing staff on duty.
- (iv) Adequate space for storage of medicines, food articles, equipment etc. shall be provided.
- (d) Water Supply.— The water used in the Nursing Home shall be pure and of potable quality.
- (e) Management of Biomedical Waste.- Authorization certificate from Madhya Pradesh Pollution Control Board for management of Biomedical Waste (as per the Biomedical Waste Management and Handling Rules, 2016) shall be provided.

The keeper or owner may apply for registration or renewal during pendency of authorization certificate, however, the institution will be operational only after authorization certificate from Madhya Pradesl Pollution Control Board is obtained.

## (f) Health, clothing and sanitary requirements of staff.—

- (i) The staff, employed shall be free from any contagious disease and shall be provided with clean uniforms suitable to the nature of their duties.
- (ii) The workers shall be medically examined at the time of employment and periodically
- (g) Equipment and linen, etc.— The Nursing Homes hall provide and maintain:—
  - (i) Adequate number of commodes, bed-pans and slop sinks with flushing arrangements;
  - (ii) High pressure sterilizer and instrument sterilizer;
  - (iii) Oxygen cylinder or cylinders and necessary attachment for giving oxygen;
  - (iv) (a) For every 100 beds or part thereof, the Nursing Home shall have 25% beds as Oxygen beds with Medical Gas Pipeline.
    - (b) For every 100 beds or part thereof, the Nursing Home shall either have Liquid Medical Oxygen (LMO) tank or Pressure Swing Adsorption (PSA) plant for fulfilling Oxygen need of minimum 25 per cent of oxygen supported beds.
  - (v) Adequate equipment, instruments and apparatus as mandated by the patient's requirement;
  - (vi) Adequate quantity of bed-sheets, mattresses, pillows, blankets, draw sheets and other linens;
  - (vii) An almirah under lock and key for poisonous substance.
  - (viii) The in-patients shall be provided with minimum furniture and linen as below:—

For each in-patient: —

Cot with mattress	One
Bed Side – locker	One
Chair/Stool	One
Blanket	One
Bed Sheet/Counter Pane	Two to be changed every day
Pillow with case counter pane	One;

- (ix) Proper arrangement of prevention of mosquitoes and 'fly etc. shall be provided by Nursing Homes.
- (h) Food If the Nursing Home provides diet to the patients, it shall be prepared and served under hygienic condition.
- (i) Nursing Staff Services of nurse shall be provided at the scale of four nurses for 20 beds with a minimum of three nurses in a nursing home/maternity home of 10 beds or part thereof. In case of a Nursing Home having 50 beds or more services of one nursing sister for every 50 beds or part thereof shall also be provided.
- (j) Records Separate stock register shall be maintained by the Nursing Home for equipment, drugs and consumables.
- (k) Services of Registered Medical Practitioners of the same system of medicine for which the Nursing Home is registered, shall be provided at the scale indicated below:—
  - (i) One Resident Registered Medical Practitioner of the same system of medicine for which the Nursing Home is registered for every 20 patient bed strength or part thereof, to look after indoor patients;
  - (ii) One additional Medical Practitioner for every 50 out patients or part thereof per day;
  - (iii) A Resident Registered Medical Practitioner shall be permitted to work in only one Nursing Home of the State, at a time. No part time engagements in any other Nursing Home shall be permissible. Any such engagement shall be a ground for cancellation of Registration and License;
  - (iv) A Resident Registered Medical Practitioner shall physically be present in the Nursing Home and render his services for attending to in-patients at all times as specified in the duty schedule of the Nursing Home;
  - (v) The name, qualification and duty schedule of such Resident Registered Medical Practitioner shall be displayed at the registration area of the Nursing Home;

- (vi)Record of documents of such Resident Registered Medical Practitioner shall at all times be maintained in the Nursing Home and also be made available for application processes for registration/renewal of registration.
- (l) Services of atleast one Registered Medical Practitioner for every 50 indoor patients or part thereof, shall be available at all times for attending to emergency.
- (m) Services of one pharmacist, if drug store is maintained.
- (n) Services of one qualified Registered Medical Practitioner and prescribed Technicians, if imaging modalities are provided.
- (o) Services of Registered Medical Practitioner and Technician if pathological and laboratory facility is provided.
- (p) Services of physiotherapist, if physio-therapy facility is provided.
- (q) Certificate of Registration and License shall be displayed in the Nursing Home at a prominent place.
- (r) All records and registers maintained shall bear registration and license number of the Nursing Home. Similarly, all documents and stationery including treatment charts, reports, cash memos, bills etc., used by the Nursing Home shall bear this number.
- (s) The keeper or owner of the Nursing Home shall not engage any Resident Registered Medical Practitioner who is already registered in any other Nursing Home of the State. The keeper or owner of the Nursing Home shall maintain duty schedule of the resident registered medical practitioners in a format detailing date, duty hours, duty station etc.
- (t) The keeper or owner of the Nursing Home shall not engage any Government servant for any work including consultation, without express permission of the Government, obtained by such Government servant in this behalf and in the event of engagement of any Government servant in the Nursing Home the keeper thereof shall furnish to the supervising authority details of engagements of such Government servant on full-time/part-time basis along with the emoluments paid to him by the Nursing Home.

- (u) The keeper or owner of the Nursing Home shall maintain a complaint book and make it available to the complainant for recording complaint. The complaint book shall be made available to the supervising authority or a person authorized on this behalf for inspection.
- (v) The keeper or owner of the Nursing Home shall take care and ensure that the Nursing Home or the Clinical Establishment is not used for unsocial or immoral purposes or both.
- (w) Rate list of various medical services being provided by the Nursing Home shall be kept compulsorily on the counter and on demand it shall be shown to the patient or his/her family member. The information to this effect shall also be displayed prominently at registration counter. The supervising authority shall also be kept informed of the rate list and of the amendments, if any, made therein."
- 11. For existing forms A and B, the following forms shall be substituted, namely: -

#### "FORM -'A'

#### (See rules 3 and 6)

Application for registration/renewal of registration under subsection (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (RegistrikaranTatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973

#### PART-A- GENERAL

(1) Full name of the applicant\*

818 (30)

(2)	Full residential address of the applicant	
(3)	Technical qualifications if any, of the applicant	
(4)	Nationality of the applicant	
(5)	Situation of the registered or principal office** of the Company, Society, Association or other body corporate.	
(6)	Name and other particulars of the Nursing  Home or the Clinical Establishment in respect of which the registration is applied for.	
(7)	Place where the Nursing Home/Clinical	
	Establishment is situated.	
(8)	System of medicine under which the Nursing	
	Home or Clinical Establishment registration	
	is applied for	
(9)	Whether the applicant is interested in any	
	other Nursing Home/Clinical Establishment	
	or business and, if so, the place where such	
	Nursing Home / Clinical Establishment is	
	situated or where such business is conducted.	

<sup>\*</sup> In case application is made on behalf of a Company, Society, Association or other body corporate, the name and residential address of the person in charge of the management of such Company, Society, Association or Body Corporate should be given.

<sup>\*\*</sup>This item is applicable only when the application is made on behalf of a Company, Society, Association or other Body Corporate.

## PART- B-NURSING HOME

(10)	Brief description of construction, Site and Equipment of the Nursing Home or any premises used in connection there with as detailed below:—  (i) Floor space of bed rooms provided for Patients, giving number of beds.  (ii) Arrangement made for medical check-up For immunization of the employees.	and
25	<ul><li>(iii) Floor space of kitchen, attendant's rooms Other rooms, giving details of user and ar each room.</li><li>(iv) Details of arrangements made for sanitary Convenience for patients and employees, their numbers.</li></ul>	rea of
	(v) Details of arrangements made for storage service of food.	and
11) V P us th	Whether the Nursing Home or any remises used in connection there with are sed or are to be used for purposes other than nat of carrying on a Nursing Home.	
	a)Number of beds for maternity patients. b)Number of beds for other patients.	
r	Names, ages and qualifications of the nembers of the nursing staff in the nursing nome.	
(14) F	Place where the nursing staff is	
a	eccommodated.	
I I	Names, ages and qualifications of the Resident Registered Medical Practitioner or Visiting Physicians or Surgeons in the Nursing Home.	
sı P	Whether the Nursing Home is under the upervision of a Supervising Medical ractitioner and if so his or her name, age nd qualification.	

\		O .			
मध्यप्रदेश	राजपत्र.	दिनाक	13	अक्टबर	2021

(17)	(a) Whether the maternity home being maintained within the Nursing Home is under the supervision of a qualified nurse if so, their names, age and qualifications.
	(b) Whether any Unregistered  Medical Practitioner or  unqualified nurse Is employed for nursing of patient in the Nursing Home.
(18)	Whether any person of alien nationality is employed in the nursing home and if so, his name and other particulars.
(10)	Fees charged from natients.

Note: The desired information under various clauses shall be attached as annexure in appropriate clause.

## PART-C CLINICAL ESTABLISHMENT

(20) Description, location, size and type of the building to be used for Clinical Establishment.	
(21) Type of Clinical Establishment.	
(22) Facilities for carrying out tests/examination or giving treatment available in the Clinical Establishment.	
(23) Details of equipment.	
(24)Name/s, age/s and qualifications of the Registered Medical Practitioner under whose overall charge the clinical establishment shall function.	
(25) Name/s, age/s and qualifications of the technicians employed in the Clinical Establishment.	
(26) Fees charged from patients.	9
Note: The desired information under various annexure in appropriate clause.	clauses shall be attached as
PART-D (FOR RI	ENEWAL)
(27) No. and date of expiry of the certificate of	registration.
(28) Details of the fee deposited.	
I solemnly declare that the above statements a	re true to the best of my knowledge
and belief.	
Date	
	Signature of the applicant

12. For existing Form 'BB', the following form shall be substituted, namely: -

#### "FORM'BB'

#### (SeeRule5and6)

Form of the License under Section 4 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973

No				
	License is	hereby granted to	Shri/Smt	
Registe	redvideNo	dated	underrule of th	e Madhya Pradesh
Upchar	ayagrihTathaRu	jopcharSambandhiSthap	anaye(RegistrikaranTathaAnugypan) R	tules,1997 in respect
of		to carry on the said	Nursing Home/Clinical Establishment <sup>1</sup> un	der the (here insert
the nam	e of recognized	system of medicine	viz: Allopathy/Ayurvedic/Yoga/Una	ni/Siddha/Homoeopathy)
system	of medicine, for	a period from	to 31st March, subject to	terms and conditions
specifie	d in Schedule-II	of the said rules.		
×	Seal		3000000	************
			Suj	pervising Authority.".

Ŋ

#### FORM-B

#### (See rule 5 and 6)

Certificate of Registration under Sub-Section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh UpcharyagrihaTaha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugypan) Adhiniyam,1973

No		
This is to certify that Shri/Smt	ye (Registr (here inso and has	ert the
(here insert the name of recognized system of medicine viz: Allopathy/ Ayurved Siddha/Homoeopathy)system of medicine.		
Registration No	(v	
Name of the Registered Nursing Home/Clinical Establishment	ÿ	
Place		
Date of issue of certificate of registration		
This certificate of registration shall be valid upto 31 <sup>st</sup> March,		
Signature of the Supervisory Authority		
after the words Nursing Home/Clinical Establishment, the words "under the(here ins	en the name	

of recognized system of medicine viz: Allopathy/Ayurvedic/Homoeopathy/Unani/Siddha system of medicine." Has been added vide amendments dated 16.11.2007 published in the Madhya Pradesh Gazette (extra-ordinary) no. 548 dated 16-11-2007(seefootnoteonpage 3).".

13. For existing forms D and E, the following forms shall be substituted, namely: -

"FORM-D

(See rule 14)

Registration of patients admitted to .......Nursing Home

	-		,_
Remark	15		
Date of discharge of the patient from the Nursing Home	14		
In the case of death of patient/ child the date and hour of the death	13		
Method of feeding of each child in the Nursing Home and the period	12		
Form F* filled (yes/no)	1		
Type of diagnos tic test carried out	10		
The name and address of persons attending to delivery	6		
respect of cases Sex of child whether born alive or dead	80		
Additional particulars to be filled in respect of maternity cases Date and Sex of hour of child delivery, whether miscarriage born or abortion, alive or as the case dead may be dead	7		ict.
If the patient suffered from an infectious disease during his stay in the Nursing Home, the nature of such disease and action taken	9		* Note: Only for Nursing Homes registered under PCPNDT Act.
Nature of disease at the time of admission	w		stered unde
Date of admission	4		Homes regi
Full name and address of patient	80	7).	r Nursing
Reference no. of patient	7		te: Only fo
o, Š	-		ž *

FORM - E

(See rule 15)

Registration of patients examined or treated or in respect of whom any test is carried out in ...... Clinical Establishment

-	
12	
11	
10	
6	
00	
7	Act
9	PCPNDT
'n	* Note: Only for Clinical Establishments registered under PCPNNT Act
4	ablichmente r
3	Clinical Ests
2	te : Only for
-	*
	1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12

...

## ACKNOWLEDGEMENT

[See Sub-Rule (3) of Rule 4]

The application in Form A in duplicate for by(Name and address of application Authority on(date).		
*The list of enclosures attached to the apprenciosures submitted and found to be correct.	olication in Form A l	nas been verified with the
	OR	Đ.
*On verification it is found that the follenclosures are not actually enclosed.	llowing documents	mentioned in the list of
1,		
	22 25	
2		
3		
This acknowledgement does not confer an of registration.	y rights on the appli	cant for grant or renewal
Date)		
Place	Signature and designature	gnation of Supervising
Authority  th  *Strike out whichever is not applicable or not nece All enclosures are to be authenticated by signature	ssary.	or authorized person in ropriate Authority, SEAL

14. After schedule-III, the following new schedule shall be added, namely:-

#### "SCHEDULE - IV

## Form for Maintenance of Permanent Record of Applications for Grant/Rejection of Registration

- 1. Sr. no.
- 2. File no. of Supervising Authority
- 3. Date of receipt of application for grant of registration
- 4. Name, address, phone no. of the applicant
- 5. Name and address of Nursing Home
- 6. Photographs of the Nursing Home premise (Front façade)
- 7. Photographs of wards and other utilities
- 8. Details of Resident Registered Medical Practitioner(s)
- 9. Details of Nursing Staff
- 10. Details of Pharmacist
- 11. Details of Technician (if any imaging modalities are provided)
- 12. Details of Lab Technician (if Pathology/Laboratory facility is provided)
- 13. Details of Physiotherapist (if Physiotherapy facility is provided)
- 14. Photocopies of statutory compliances (As prescribed)
- 15. Rate list/Tariffs
- 16. Inspection report of the Supervising Authority/Designated Inspection
  Team
- 17. Recommendation of the Supervising Authority/Designated Inspection
  Team
- 18. Copy of Online registration certificate
- 19. Ground(s) of rejection (if application is rejected)
- 20. Additional information (if any/or as prescribed).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सीमा डहेरिया, अवर सचिव.